रजिस्टर्ड ए. डी.

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

आवंटन-पत्र

क्रमांक : एफ-1 (648)जविप्रा/पुराव/स्रा090/81/

दिनांक : 31-5-1986.

..........मंत्री,..........

..........राज श्री विद्यालय,..........

एफ-38, ...नगर,..........

जयपुर (राजस्थान),..........

महोदय,

आपके पत्र क्रमांक ......[illegible]/805...... दिनांक ......27-2-86...... के सन्दर्भ में प्राधिकरण को भूमि एवं सम्पत्ति समिति ने अपनी बैठक दिनांक ......5-5-86...... में यह निर्णय लिया है कि राज श्री विद्यालय शास्त्री .र जयपुर को उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु नाहरी का नाका सर्किल पर कल्पतरू व्यावसायिक केन्द्र के सामने की ओर उपलब्ध रिक्त भूमि योजना की सुरक्षित दर की आधी अर्थात 40/-रुपये . . वर्ग गज की दर से आवंटित कर दी जावें। इसके साथ यह भी निर्णय लिया गया कि संस्था की कार्यकारिणी में जयपुर विकास प्राधिकरण का एक सदस्य रखना होगा। अभियांत्रिकी शाखा से भूमि की कुल नाप 2773.43 वर्ग गज प्राप्त हुई हैं। अतः उक्त निर्णय की अनुपालना में राज श्री विद्यालय शास्त्री नगर जयपुर को नाहरी का नाका सर्किल पर कल्पतरू व्यावसायिक केन्द्र के सामने की ओर अभियांत्रिकी शाखा द्वारा नाप की गई भूमि कुल भूमि 2773.43 वर्ग गज की [illegible] योजना की [illegible] दर की आधी दर अर्थात रुपये 40/- प्रतिवर्ग गज की दर से निम्न लिखित शर्तों पर आवंटित की जाती है।

आवंटन की शर्तें :

भूमि का आवंटन 99 वर्ष की लीज पर होगा, जिसमें पूर्ण स्वामित्व प्राधिकरण का होगा।

वार्षिक शहरी जमाबन्दी आवंटित भूमि का आधिपत्य पत्र जारी होने की तिथि से योजना की सुरक्षित दर रुपये......80/-...... पर......5...... प्रतिशत प्रतिवर्ष के हिसाब से देय होगी। यह प्रथम तीन वर्ष तक आधी दर पर प्रतिवर्ष व इसके बाद पूरी दर से वसूल की जावेगी।

वार्षिक शहरी जमाबन्दी की राशि (प्रथम वर्ष की) मांग पत्र के साथ अग्रिम जमा करानी होगी।

शहरी जमाबन्दी प्रत्येक वित्तीय वर्ष की 31 मार्च तक प्राधिकरण कोष में जमा कराना आवश्यक है। अन्यथा इसके उल्लंघन पर प्राधिकरण को नियमानुसार ब्याज वसूल करने का अधिकार होगा।

शहरी जमाबन्दी प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् परिवर्तित की जा सकती है किन्तु ऐसी प्रत्येक वृद्धि वर्तमान दर के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

भू-खण्ड का निर्माण कार्य आवंटन पत्र की तिथि से 6 माह की अवधि में प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्रों के अनुसार प्रारम्भ किया जावेगा एवं 2 वर्ष की अवधि में पूर्ण कर लिया जावेगा। भवन मानचित्र अनुमोदन करवाने की जिम्मेदारी स्वयं संस्था की होगी।

यदि आवंटन की तिथि से भूमि का उपयोग 2 वर्ष की अवधि में नहीं किया गया तो भू-खण्ड व उस पर बने अधूरे भवन, यदि कोई हो तो, को अधिग्रहित कर लिया जावेगा व मुआवजा देय नहीं होगा।

भू-खण्ड केवल......स्कूल भवन......बनाने हेतु काम में लिया जावेगा एवं किसी भी प्रकार के व्यावसायिक निर्माण की स्वीकृति नहीं दी जायेगी और न ही किसी प्रकार का वाणिज्यिक एवं लाभ कमाने की दृष्टि से इसका उपयोग किया जा सकेगा।

भू-खण्ड एवं इस पर निर्मित भवन किसी भी ... को ...

सचिव

PRINCIPAL
Rajshree ... T.T. College
Shastri ... Jaipur

राजस्थान इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट (डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड) रूल्स 1974 एवं जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 (वर्ष 1982 का 25वां अधिनियम) के तहत राज्य सरकार प्राधिकरण द्वारा बनाये गये नियमों, उप नियमों व समय-समय पर प्रचलित अन्य नियमों व उनमें किए गए व किए जाने वाले संशोधनों व समय समय पर दिये जाने वाले आदेशों/निर्देशों एवं प्राधिकरण के निर्णयों के अधीन भू-खण्ड का आवंटन समझा जावेगा।

उपरोक्त शर्तों में से किसी एक या अधिक का उल्लंघन किया गया तो प्राधिकरण को अधिकार होगा कि बिना कोई नोटिस दिये भू खण्ड अधिग्रहित करलें।

भू-खण्ड का वास्तविक क्षेत्रफल आवंटित भू-खण्ड के स्थान मानचित्र के अनुसार कम या अधिक हो सकता है। अतः आधिपत्य लेते समय वास्तविक क्षेत्रफल के अनुसार धनराशि देय होगी।

जयपुर के बाहर के चैक स्वीकार नहीं किये जाते हैं। जहां तक स्थानीय अर्थात् जयपुर के चैकों का प्रश्न है वे भुगतान की अन्तिम तिथि से तीन दिन पूर्व बैंक में प्रस्तुत करने पर ही भुगतान समय पर हुआ माना जावेगा।

मांग की गई राशि इस पत्र के जारी होने के दिनांक से 6 माह की अवधि में जमा न कराने पर प्राधिकरण के नियमानुसार ब्याज देय होगा तथा आवंटन निरस्त किया जा सकता है।

संस्था की कार्य-कारिणी में जयपुर विकास प्राधिकरण का एक प्रतिनिधि रखना होगा।

क्त भू-खण्ड का नजराना व शहरी जमाबन्दी आदि की धनराशि निम्न प्रकार है :—

नजराना राशि

भूमि दर रुपये 40/- प्रति वर्ग गज/वर्गमीटर की दर से 2773.43 वर्ग गज/वर्ग मीटर के लिये 110937.20

शहरी जमाबन्दी (राजस्थान नगर विकास न्यास भूमि निस्तारण नियम 1974 के नियम 7(1) व 7(3) के अन्तर्गत)

(1) प्रथम तीन वर्ष के लिए (प्रथम वर्ष की अग्रिम)
सुरक्षित दर 80/- प्रति वर्ग गज पर 2½ प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से 5546.86

(2) चौथे वर्ष से लीज अवधि तक 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष 11,093.72

स्थान मानचित्र की प्रति 25.00

यदि आपको उपरोक्त नियम व शर्तों के आधार पर भू-खण्ड का आवंटन स्वीकार हो तो कृपया वांछित राशि इस आवंटन पत्र के जारी होने की तिथि से 6 माह में प्राधिकरण कोष में निम्न प्रकार जमा कराने की व्यवस्था

(1) नजराना राशि रुपये	1,10,937.20
(2) शहरी जमाबन्दी प्रथम वर्ष की अग्रिम	5,546.86
(3) स्थान मानचित्र	25.00
कुल योग	1,16,509.06

वांछित धन राशि संलग्न चालान संख्या .... दिनांक .... से यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया की एस.डी.एम.एच. शाखा, जयपुर में जमा करावें।

मुख्य राजस्व अधिकारी
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
निदेशक, नगर नियोजन, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि भूमि एवं सम्पत्ति समिति के निर्णयानुसार भू-खण्ड का सृजन करें।
निदेशक (अभियांत्रिकी) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को (तीन प्रतियों में) स्थान मानचित्र बनाने हेतु।
उप निदेशक, (राजस्व), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
सांख्यिकी सहायक, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
रोजना लिपिक, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
शा पत्रावली।